

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थीगण
मुक्ताराम पुत्र श्री लालाराम, जाति गर्ग,
निवासी सोढा, तहसील सोजत, जिला
पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत, जिला पाली
- 2 शिवलाल पुत्र लालाराम जाति गर्ग निवासी खारिया सोढा, तहसील सोजत, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध प्रकरण संख्या 284/2018

(आरसीएमएस नम्बर - 2018/00401)

अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2018	<p>प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय तहसीलदार सोजत में विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2018 बनवान पटवारी हल्का बनाम मुक्ताराम वगैरा को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय से पैरावार टिप्पणी ली जावे एवं रेकॉर्ड तलब हो। रेकॉर्ड तलबी दस्ती जारी हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 04.09.2018 को पेश हो।</p> <p>अति.जिला कलेक्टर, पाली</p>	
4/9/2018	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्टवा होकर पत्रावली दिनांक 25.9.18 को पेश हो।</p>	
25/9/18	<p>अधीनस्थ न्यायालय के नाम जारी नोटिस का तामील नहीं लोटे है। अतः अधिवक्ता पुनः PF नोटिस भ्रूकर पेश करें। PF नोटिस पेश करने पर तलबी जारी हो। पत्रावली दि. 30/10/18 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
30/10/18	<p>अधीनस्थ न्यायालय के नाम जारी नोटिस को जिन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होना बताते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रार्थीगण प्रा.पत्र प्रभावहीन होने से श्वारिस किया जाता है। पत्रावली फंसल में शुभकर लेकर नम्बर से कम हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	